Reply to EDS by Forest Department regarding Proposal No. FP/JH/FVC/46701/2020 submitted on Parivesh Portal by Deputy Director, Palamau Tiger Project, South Division, Medininagar

Forest villages Kujrum and Latu are situated in the core area of South Division of Palamau Tiger Reserve. However, the proposal for diversion of Forest land for relocation of these villages at Polpol Kalan, Medininagar was uploaded by Deputy Director, North Division, Palamau Tiger Reserve vide Proposal No. FP/JH/FVC/43032/2019. The issue was pointed out by PCCF & HoFF, Jharkhand and PCCF, WL, Jharkhand during their field visit to Palamau Tiger Reserve that if these two forest villages are situated in South Division, the proposal should be submitted by South Division itself.

In compliance to that, The Field Director, Palamau Tiger Reserve, Medininagar authorized Deputy Director, South Division for uploading proposal for diversion of Forest Land required for relocating forest villages Kujrum and Latu vide Letter no. 653 dated 15.05.2020 (Annexure-1).

As there is no provision in Parivesh Portal to change the User Agency, a fresh proposal has been uploaded.

Deputy Director Palamau Tiger Reserve
South Division, Medininagar

Mulushum-16/7/2020

कार्यालयः मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटनगंज।

E-mail ld- ccf-fdptr@gov.in

पत्रांक- 🛭 🕞

विनांक- 15/5/1010

सेवा में,

उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमंडल, मेदिनीनगर।

विषय :-

पलामू ब्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र (Critical Tiger Habitat) में अवस्थित वन ग्राम के पुनर्वासन (Relocation) हेतु वन संरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत् प्रस्ताव समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि राष्ट्रीय ब्याघ्र संरक्षण प्राधिकारण द्वारा निर्गत दिशा—निर्देशानुसार पलामू ब्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र में अवस्थित वन ग्रामों को पुर्नस्थापित करने हेतु वन संरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत् वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया जाना है।

अतः पलामू ब्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र (Critical Tiger Habitat) में अवस्थित वन ग्रामों को पुर्नस्थापित (Relocation) करने हेतु वन संरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत् वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित करने हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन,

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, डालटनगंज

पत्रांक—

दिनांक-

सेवा में,

उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमंडल, मेदिनीनगर।

विषय :-

पलामू ब्याघ आरक्ष के कोर क्षेत्र (Critical Tiger Habitat) में अवस्थित वन ग्राम के पुनर्वासन (Relocation) हेतु वन संरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत् प्रस्ताव समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

इस कार्यालय का पत्रांक 2197 दिनांक 27.11.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

पलामू ब्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र (Critical Tiger Habitat) में अवस्थित वन ग्रामों को पुर्नस्थापित (Relocation) करने हेतु वन संरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत् वन भूमि अपयोजन से संबंधित सभी अभिलेखों / कागजातों को उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमंडल, मेदिनीनगर को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, डालटनगंज।

ज्ञापांक <u>652</u>, दिनांक <u>15.05.2020</u>,

उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमंडल, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रतिलिपि:-कार्रवाई हेत् प्रेषित।

215/2000